

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

N/A उपर बनाम नीचे उपर

उप हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


प्रार्थना पत्र

नुं-34/2017

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

13.09.2021

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र आज दिनांक 13.09.2021 को स्वीकार किया जाकर डिक्री हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतिन नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(दिलीप सिंह)
13/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

